मुद्रक - आरती प्रिन्टिंग प्रेस सिकराय

# फर्द अहकाम

(नियम (26))

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय .....

सरकार बनाम भगवन्ती पत्नी बाबू .....

किस्म मुकदमा उपा मु0 नं0 91/19

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 1/4 | फिरोजपुर सरकार सिकराय के द्वारा पुकारी पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर उपस्थितियों की तलबी की जाकर मुकदमी दि 8-5-19 को पेश हो<br>उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला-दौसा | |
| 3/4 | मुकदमी पेश हुई। फिरोजपुर सरकार गैरहाजिर। मुकदमी पर फिरोजपुर सरकार इस सिर्फ पेश किया कि उक्त प्रमाण जालसाजी तहसील स्तर पर कर दिया गया। ऐसी स्थिति में इस प्रमाण का कोई औचित्य नहीं है।<br>अतः अर्जी का प्रमाणित कर लाया है आदेश किया जाता है मुकदमी खारिज होकर फैसले शुमार हो<br>3/3/4/19<br>उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला-दौसा | पीठासीन अधिकारी के निवास तहसील स्तर पर बनाया गया था प्रकरण को खिलाफ करावे।<br>उपा। |